न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम निम्बाहेडाकंला तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 11/2016

अनवान

1 श्रीमति गीता पुत्री कजोडदास बैरागी पत्नि श्री नंदरामदास बैरागी निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा .... **वादीया**

बनाम

1 श्री जीवनदास पिता कजोडदास बैरागी उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 श्री कैलाश पिता कानादास बैरागी उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3 श्री कमलेश पिता कानादास बैरागी उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4 श्रीमति कमली पत्नि कानादास बैरागी उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5 श्री गोपाल पिता रूघनाथदास बैरागी उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6 श्री नाथु पिता रूघनाथदास बैरागी उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7 मुली पुत्री रूघनाथदास बैरागी उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
8 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
9 श्री मनवर खां पिता भोलू खां कायमखानी उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
10 श्री रमजान खां पिता भोलू खां कायमखानी उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ..... **प्रतिवादीगण**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री महेश जोशी ....वकील वादीया**
श्री समस्य प्रतिवादीगण
पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक 16.06.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम निम्बाहेडाखुर्द पटवार हल्का निम्बाहेडाकंला तहसील बनेड़ा जिला

भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 108, 287, 288, 289, 304, 305, 306, 308, 368, 369, 370, 371, 373, 403 कुल किता 14 कुल रकबा 13–15 बीघा स्थित हैं। पारिवारिक सजरे अनुसार वादीया एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 के परिवार मुख्य पुरूष धूलदास बैरागी थे, जिनके चार पुत्र कजोडदास, जगन्नाथदास, रूघनाथदास, रामसुखदास हुए, जिनमें से कजोडदास के दो पु, कानादास, जीवनदास प्रतिवादी संख्या 01 व पुत्री गीता वादीया हुई। कानादास की मृत्यु हो चुकी है, जिनके दो पुत्र कैलाश प्रतिवादी संख्या 02 व कमलेश प्रतिवादी संख्या 03 एंव पत्नि कमला प्रतिवादी संख्या 04 है। रूघनाथदास के दो पुत्र प्रतिवादी संख्या 05 गोपाल व प्रतिवादी संख्या 06 नाथु तथा एक पुत्री प्रतिवादी संख्या 07 मूली है। जगनाथदास एंव रामसुखदास लाऔलाद फौत हो गये। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 वादीया का सगा भाई है तथा प्रतिवादी संख्या 02 से 04 वादीया के सगे भाई स्व0 कानादास के पुत्र व बैवा होकर होकर भतीजे व भाभी है तथा प्रतिवादी संख्या 05 से लगायत 07 वादीया के सगे काका रूघनाथदास के पुत्र व पुत्री होकर भाई–बहिन है। श्री कजोडदास की मृत्यु होने पर उक्त वर्णित आराजीयात 1/3 हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त निहित था। कजोडदास की मृत्यूपंरात्न राजस्व कर्मचारीयों द्वारा कजोडदास के विधिक वारिसानो की सही जांच नही की व कजोडदास की विरासत गलत रूप से त्रूटीपूर्ण केवल प्रतिवादी संख्या 01 व कानादास (प्रतिवादी संख्या 02 से 04 के पिता/पति व वादीया का भाई) के नाम दर्ज कर दिया, जो कि कानूनी तौर पर गलत था, जबकि कजोडदास का हिस्सा वादीया के नाम भी 1/3 हक हिस्से से दर्ज होना चाहिये था। उक्त वर्णित आराजियात वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजीयात वादीया के पुश्तैनी हक अधिकार एंव कब्जे काश्त की आराजीयात है, जिसमें वादीया का कुल 1/6 हक हिस्सा कानूनन निहित है। ऐसी स्थिती में वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड की दुरूस्ती करवाई जाकर वादीया का नाम राजस्व रेकार्ड में 1/6 हक हिस्से से दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः वादग्रस्त आराजीयात की राजस्व रेकार्ड में ईन्द्राज दुरूस्ती कराई जाकर वादीया को उक्त वादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में वादीया का नाम 1/6 हक हिस्से से दर्ज किया जाकर वादीया को उक्त हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एंव घोषणात्मक डिकी बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरवाई जावें, तथा वादग्रस्त आराजीयात का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वादीया एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 के मध्य विभाजन किया जाकर विभाजन की डिकी बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जावें, इसके साथ स्थायी निषेधाज्ञा आशय की डिकी बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित फरमाई जावें।

2. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 25.07.2016 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया। वादपत्र विचारण के दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प निम्बाहेडाकंला में दिनांक 16.06.2017 के लिए पंजीबद्ध किया जाकर पक्षकारान उभयपक्ष को जरिये सूचनापत्र तलब किया गया। शिविर के दौरान ही श्री मनवर खां पिता भोलू खां कायमखानी, रमजान खां पिता भोलु खां कायमखानी निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात में से आराजी संख्या 287, 288, 289, 304, 305, 306, 308 कुल किता 07 कुल रकबा 04–15 बीघा का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 16.08.1980 से प्रार्थीगण को किया जा चुका है ऐसी स्थिती में प्रार्थीगण को मौजूदा वादपत्र में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक व न्यायोचित है, अतः प्रार्थीगण को वादपत्र में बतौर पक्षकार प्रतिवादीगण संख्या कमशः 09 व 10 के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने के आज्ञा सादर फरमावें। प्रार्थीगण को वक्त केम्प सुना गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र व सलंग्न रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 16.08.1980 का अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने में वादीया व उनके अधिवक्ता की और से तथा शेष रहे प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 07 की और से सहमति व्यक्त की जाने से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

जाकर प्रार्थीगण को वादपत्र में बतौर पक्षकार प्रतिवादीगण संख्या क्रमशः 09 व 10 के स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाने के आज्ञा पारित की जाती है। अधिवक्ता वादीया द्वारा एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में चाहे गये अनुतोष में से विभाजन का अनुतोष समाप्त किये जाने की ईस्तदुआ शिविर के दौरान की जो स्वीकार कर मौजूदा वादपत्र मे से चाही गयी विभाजन की दाद को समाप्त किये जाने की आज्ञा पारित कि जाती है। इसके अतिरिक्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अंन्तिम निपटारे हेतु उभयपक्ष पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर अपनी और से सहमती व्यक्त करते हुए उभयपक्षों द्वारा राजीनामा प्रपत्र हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत किया।

3. प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, एवं वादपत्र का अध्ययन एवं मनन उपरान्त वादीगण द्वारा वादपत्र सहमती से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

वादीया का वादपत्र प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम निम्बाहेडाखुर्द पटवार हल्का निम्बाहेडाकंला तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 108, 287, 288, 289, 304, 305, 306, 308, 368, 369, 370, 371, 373, 403 कुल किता 14 कुल रकबा 13—15 बीघा में से आराजी संख्या 287, 288, 289, 304, 305, 306, 308, कुल किता 07 कुल रकबा 04—15 बीघा का विपक्षी क्रम 09 व 10 को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, शेष आराजीयात संख्या 108, 368, 369, 370, 371, 373, 403 कुल किता 07 कुल रकबा 09—00 बीघा में से 1/2 हक हिस्सा विपक्षी क्रम 05 लगायत 07 के नाम तथा शेष 1/2 हक हिस्से में से वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 को क्रमशः 1/3, 1/3, तथा शेष 1/3 हक हिस्से में से कानादास के विधिक वारिसान विपक्षी क्रम 02 लगायत 04 प्रत्येक को क्रमशः 1/9, 1/9, खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। इसके साथ ही वादीया के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पांबद किया जाता है। तद्नुसार आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। अंन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.06.2017 को राजस्व लोक अदालत शिविर मुकाम निम्बाहेडाकलां में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत मुकाम निम्बाहेडाकंला तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 11/2016

अनवान

1 श्रीमति गीता पुत्री कजोडदास बैरागी पत्नि श्री नंदरामदास बैरागी निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा. .... **वादीया**

बनाम

1 श्री जीवनदास पिता कजोडदास बैरागी उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 श्री कैलाश पिता कानादास बैरागी उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
3 श्री कमलेश पिता कानादास बैरागी उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4 श्रीमति कमली पत्नि कानादास बैरागी उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5 श्री गोपाल पिता रूघनाथदास बैरागी उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6 श्री नाथु पिता रूघनाथदास बैरागी उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7 मुली पुत्री रूघनाथदास बैरागी उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
8 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
9 श्री मनवर खां पिता भोलू खां कायमखानी उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
10 श्री रमजान खां पिता भोलू खां कायमखानी उम्र वयस्क निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

..... **प्रतिवादीगण**

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– **श्री महेश जोशी ....वकील वादीया**
श्री समस्य प्रतिवादीगण
पैरोकार सरकार

दिनांक– 16.06.2017

वादीया का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क) 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आपसी राजीनामें से मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम निम्बाहेडाखुर्द पटवार हल्का निम्बाहेडाकंला तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा स्थित आराजी संख्या 108, 287, 288, 289, 304, 305, 306, 308, 368, 369, 370, 371, 373, 403 कुल किता 14 कुल रकबा 13–15 बीघा में से आराजी संख्या 287, 288, 289, 304, 305, 306, 308, कुल किता 07 कुल रकबा 04–15 बीधा का विपक्षी कम 09 व 10 को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए, शेष आराजीयात संख्या 108, 368, 369, 370, 371, 373, 403 कुल किता 07 कुल रकबा 09–00 बीघा में से 1/2 हक हिस्सा विपक्षी कम 05 लगायत 07 के नाम तथा शेष 1/2 हक हिस्से में से वादीया व प्रतिवादी संख्या 01 को कमशः 1/3, 1/3, तथा शेष 1/3 हक हिस्से में से कानादास के विधिक वारिसान विपक्षी कम 02 लगायत 04 प्रत्येक को कमशः 1/9, 1/9, खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रसारित किये जाते है। इसके साथ वादीया के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पांबद किया जाता है। तद्नुसार अन्तिम डिकी पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आज दिनांक 16.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम निम्बाहेडाकंला में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)